साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 10, अंक : 52 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 30 जुलाई 2025 से 5 अगस्त 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

सोलर पैनलों से हो रहा है कितना कचरा

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र जारी है, इसी बीच सौर पैनल के कचरे को लेकर उठाए गए एक सवाल के जवाब में आज, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में बताया कि देश में 2030 तक सौर पैनल के कचरे के उत्पादन के संबंध में अभी तक कोई प्रामाणिक अनुमान उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है और ये एक अप्रैल, 2023 से लागू हैं। ये नए नियम सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन और ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था लागू करने का प्रावधान करते हैं, जिसके तहत सभी निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरण कर्ता और पुनर्चक्रण कर्ता को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। सिंह ने कहा कि नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को व्यवसाय करने और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में सुगम और चैनलाइज करते हैं। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और सत्यापन एवं लेखा परीक्षा के प्रावधान भी पेश किए गए हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई-कचरे के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण व निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। सदन में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में आज, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में राष्ट्रीय विद्युत योजना (संचरण) का हवाला दिया। जिसमें में कहा कि 2022-32 की अवधि के लिए, 2031-32 तक अखिल भारतीय अधिकतम विद्युत मांग 388 गीगावाट होने का अनुमान है। नाइक ने कहा भारत सरकार को विश्वास है कि वह बिना किसी कमी के इस अनुमानित विद्युत मांग को पूरा कर लेगी। एथेनॉलकी आपूर्ति को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए आज, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेचती हैं। गोपी ने बताया कि ईबीपी कार्यक्रम के तहत, पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2019-20 में 173 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में 700 करोड़ लीटर से अधिक हो गया और इसी अनुपात में मिश्रण प्रतिशत भी ईएसवाई 2019-20 में पांच फीसदी से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में लगभग 14.6 फीसदी हो गया।

इसके अलावा चालू एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के लिए, 30 जून, 2025 तक, पेट्रोल के साथ कुल 661.06 करोड़ लीटर एथेनॉल मिश्रित किया जा चुका है, जिससे 18.93 फीसदी का सम्मिश्रण प्रतिशत हासिल किया है। सदन में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आज, जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि भारत सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है, ताकि अतिरिक्त पानी के स्रोतों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों और घाटियों में पानी का पहुंचाने को आसान बनाया जा सके। चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को एनपीपी ढांचे के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें दो प्रमुख रूप से शामिल - हिमालयी इलाकों से 14 जोड़ने की परियोजनाएं हैं और प्रायद्वीपीय हिस्से जिसमें 16 जोड़ने की परियोजनाएं हैं। जुलाई 2025 तक, सभी 30 परियोजनाओं के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर), 26 परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 11 जोड़ने की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो चुकी हैं। सदन में उठाए गए एक और सवाल के जवाब में आज, जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि हिमाचल प्रदेश में, शोंगटोंग-करछम जलविद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उपयोग की गई कुल भूमि 78.8443 हेक्टेयर है। शोंगटोंग-करछम जल विद्युत परियोजना के लिए 70.8737 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी दो चरणों में हासिल की गई। पहले चरण में, 14 दिसंबर, 2012 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी से 63.5015 हेक्टेयर वन भूमि का परिवर्तन किया गया। दूसरे चरण में, वन संरक्षण अधिनियम की धारा-2 के अंतर्गत 29.जुलाई, 2024 को 7.3722 हेक्टेयर वन भूमि के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी प्रदान की गई।

भारतीय शहरों की रातें गांवों के मुकाबले 3-5 डिग्री ज्यादा गरम

नई दिल्ली (एजेंसी)भारत के प्रमुख शहरों में पूरे साल रात का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों के मुकाबले 3-5 डिग्री ज्यादा रहता है। यह खुलासा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ जैसे घनी आबादी वाले शहरों में रात का तापमान काफी ज्यादा रहता है। इन शहरों में तापमान में यह अंतर सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण देखा गया। 'भारत में लचीले और समृद्ध शहरों की ओर' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 50 साल में भारी बारिश के कारण देश में बाढ़ का खतरा 73 से 100 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट में भारत के 24 शहरों को शामिल किया गया। इनमें चेन्नई, इंदौर, नई दिल्ली, लखनऊ, सूरत और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। लखनऊ में रात के समय तापमान आसपास के गांवों से पांच डिग्री ज्यादा रहता है। चेन्नई और सूरत में यह अंतर 3-4 डिग्री का है। रिपोर्ट में 2050 तक भारत के प्रमुख शहरों में आज के मुकाबले 30 से 50% ज्यादा गर्म दिन और रात होने की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक निरंतर शहरीकरण और जलवायु प्रभावों के कारण बाढ़ से होने वाला सालाना नुकसान बढ़ेगा। यह नुकसान 2030 तक पांच अरब डॉलर और 2070 तक 14 से 30 अरब डॉलर के बीच होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा

भोपाल (एजेंसी) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सामाजिक समानता और समरसता लोक कल्याणकारी राज्य का प्राथमिक दायित्व है। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों और कमजोर वर्गों के हितों की पूर्ति एवं उनका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार दिव्यांगजनों को संबल देकर उन्हें समर्थ और सशक्त बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दिव्यांगजन परमात्मा का परम अंश है और इनकी सेवा परमात्मा की सेवा है। दिव्यांगजनों को लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाएं। इन शिविरों में नए दिव्यांगजनों को भी चिन्हित किया जाए और उन्हें उनकी जरूरत के मुताबिक सहयोग, मार्गदर्शन तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, इसके लिए योजना कियान्वयन की सतत् निगरानी भी सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिव्यांगजनों के विकास एवं कल्याण के लिए अब तक हुए प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। हम सबका यह कर्तव्य है कि इस पुनीत कार्य में सभी सक्रिय होकर भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों एवं कुष्ठ पीड़ितों के कल्याण के लिए अन्य प्रदेशों में प्रचलित मॉडल का भी अनुसरण करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि कल्याणियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए जिससे जरूरतमंद कल्याणी इसका लाभ ले सकें। इस कार्य के लिए एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है। बैठक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नवनिर्मित पेड ओल्ड एज होम का लोकार्पण बहुत जल्द

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पेड ओल्ड एज होम आज के दौर में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत बनते जा रहे हैं। नए परिवेश में बच्चे पढ़ने या नौकरी के लिए विदेश/बाहर चले जाते हैं। आगरा और जयपुर जैसे शहरों में पेड ओल्ड एज होम अच्छी तरह से संचालित हैं। इस तरह के वृद्धाश्रमों के लिए भारतीय परिवेश और संस्कृति से जुड़ा कोई हिन्दी नाम तय कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की देख-रेख सेवा का काम है इस काम से अशासकीय संगठनों और धार्मिक व परमार्थ संस्थाओं को भी जोड़ें। मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि भोपाल के पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में कुल 23.96 करोड़ रुपए की लागत से एक शासकीय पेड ओल्ड एज होम का निर्माण कराया गया है। इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण बहुत जल्द मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कर कमलों से ही कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नवनिर्मित पेड ओल्ड एज होम में सेवाएं देने के लिए इच्छुक संस्था के चयन के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसका संचालन यहां निवासरत वरिष्ठजनों से समुचित शुल्क लेकर किया जाएगा। इस वृद्धाश्रम के कमरों का किराया सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बैंकखाते में जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह के अन्य पेड ओल्ड एज होम्स के निर्माण के लिए निजी संस्थाएं भी निवेश के लिए आगे आ रही हैं। इन निजी संस्थाओं द्वारा निर्माण के लिए शासन से भूमि की मांग की जा रही है। मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि प्रदेश में अबतक 9.57 लाख से अधिक दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड (विशिष्ट पहचान पत्र) बनाए जा चुके हैं। इन पहचान पत्रों के आधार पर दिव्यांगजन शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 56 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को हर माह 339 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके बैंकखातों में हस्तांतरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष भर्ती अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2500 से अधिक दिव्यांगजनों को शासकीय सेवा में रोजगार प्रदान किया गया है। मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बीते 10 सालों में कुल 11294 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ जनों के उपचार के लिए प्रदेश के सभी जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है इन केन्द्रों में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ही अन्य प्रकार की थैरेपेटिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर ने बताया कि प्रदेश में श्रवण बाधित दिव्यांगजनों की सहायता के लिए लाइव इंटरप्रेटर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। इसके लिए डेफ कैन एसोसिएशन संगठन के साथ एमओयू किया गया है। आरूषि संस्था के सहयोग से निःशुल्क दिव्यांग हेल्पलाइन 1800-233-4397 की शुरुआत भी की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि दिव्यांगजनों की खेल प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इनकी प्रतिस्पर्धा गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश के कुछ चयनित जिलों में वृद्धाश्रम और नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना की जा रही है। वृद्धजनों को घर पर ही देखरेख का प्रशिक्षण देने के लिए इस विषय में महारत रखने वाली संस्थाओं का चयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को %मिशन कर्मयोगी% के अंतर्गत आईगोट पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। विभाग के अधीन सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की सतत् निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और इसके तहत अब तक 135 संस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 42 जिलों में ई-ऑफिस प्रणाली से विभागीय कार्य संपादित किये जा रहे हैं।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह की यूनिट नंबर 5 ने लगातार दूसरी बार बनाया 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का नया रिकार्ड

भोपाल मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के अभियंताओं व कार्मिकों के समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता ने 210 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट को लगातार 300 दिन तक संचालित करने में सफलता हासिल की है। यूनिट ने अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार 300 दिन विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड बनाया। इस यूनिट ने दूसरी बार 1 अक्टूबर 2024 से 28 जुलाई 2025 तक 300 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड बनाया। इससे पूर्व इस यूनिट ने 27 अगस्त 2023 से 22 जून 2024 तक 300 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का नया रिकार्ड बनाया था। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह के यूनिट नंबर 5 के अभियंताओं व कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि समर्पण, कड़ी मेहनत व प्रतिबद्धता से लक्ष्य अर्जित करने का यह सर्वश्रेष्ठ व अनुकरणीय उदाहरण है। मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारनी की 250 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट नंबर 10 के खाते में सर्वाधिक 305 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का रिकार्ड दर्ज है। इस यूनिट ने यह उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हासिल की थी। विद्युत गृह चचाई की यूनिट ने 300 दिन सतत् विद्युत उत्पादन करने का कीर्तिमान अर्जित कर इसी अवधि में विभिन्न मापदंडों में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। यूनिट ने 99.52 फीसदी प्लांट उपलब्धता फेक्टर (पीएएफ), 97.33 फीसदी प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) व 9.08 प्रतिशत ऑक्जलरी कंजम्पशन की उपलब्धि हासिल की।

डॉ.मोहन यादव की पहल से मध्यप्रदेश में बाघ की दहाड़ बरकरार

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मध्यप्रदेश के लिये विशेष महत्व रखता है। बाघों के अस्तित्व और संरक्षण के लिये प्रदेश में जो कार्य हुए है, उसके परिणाम स्वरूप आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बाघ मध्यप्रदेश में है, यह न सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि भारत के लिये भी गर्व की बात है। वर्ष 2022 में हुई बाघ गणना में भारत में करीब 3682 बाघ की पुष्टि हुई, जिसमें सर्वाधिक 785 बाघ मध्यप्रदेश में होना पाये गये।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की संवेदनशील पहल के परिणाम स्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि के लिये निरंतर प्रयास हो रहे हैं। बाघ रहवास वाले क्षेत्रों के सक्रिय प्रबंधन के फलस्वरूप बाघों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मध्यप्रदेश के कॉरिडोर उत्तर एवं दक्षिण भारत के बाघ रिजर्व से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। राज्य शासन द्वारा जंगल से लगे गांवों का विस्थापन किया जाकर बहुत बड़ा भूभाग जैविक दवाब से मुक्त कराया गया है। संरक्षित क्षेत्रों से गांव के विस्थापन के फलस्वरूप वन्य प्राणियों के रहवास क्षेत्र का विस्तार हुआ है। कान्हा, पेंच और कूनो पालपुर के कोर क्षेत्र से सभी गांवों को विस्थापित किया जा चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का 90 प्रतिशत से अधिक कोर क्षेत्र भी जैविक दबाव से मुक्त हो चुका है। विस्थापन के बाद घांस विशेषज्ञों की मदद लेकर स्थानीय प्रजातियों के घास के मैदान विकसित किये गये हैं, जिससे शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिये वर्षभर चारा उपलब्ध होता है। संरक्षित क्षेत्रों में रहवास विकास कार्यक्रम चलाया जाकर सक्रिय प्रबंधन से विगत वर्षों में अधिक चीतल की संख्या वाले क्षेत्र से कम संख्या वाले चीतल विहीन क्षेत्रों में सफलता से चीतलों को स्थानांतरित किया गया है। इस पहल से चीतल, जो कि बाघों का मुख्य भोजन है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और पूरे भूभाग में चीतल की उपस्थिति पहले से अधिक हुई है। मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रेंक प्राप्त की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारी तरीकों को अपनाया गया है।

नदियों और जल स्त्रोतों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का सांस्कृतिक प्रयास है सदानीरा प्रदर्शनी -मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल(**नगर प्रतिनिधि**) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने 30 मार्च से 30 जून 2025 तक 90 दिवसीय जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया। सम्पूर्ण प्रदेश में चले इस अभियान में जनभागीदारी की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। स्थानीय नागरिकों ने जल संरक्षण के प्रति अपनी सहभागिता सुनिश्चित की नदियों, जलस्त्रोतों व जल संरचनाओं को संरक्षित करने 2 लाख 30 हजार 740 से अधिक जलदूतों ने पंजीयन कराया। अभियान के अंतर्गत अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल कर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए मध्यप्रदेश में 84 हजार 726 खेत तालाब, 1 लाख 4 हजार 276 कूप रिचार्ज पिट और 1283 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं जल संचय करने वाले जिलों में खंडवा देशभर में नबर वन बना और राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश, देश में चौथे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों पर केंद्रित प्रदर्शनी सदानीरा का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार भी मौजूद रहे।

नदी संरक्षण वैज्ञानिक दायित्व के साथ सांस्कृतिक चेतना का भी है आह्वान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की एक अलग पहचान स्थापित की है। यह अभियान अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। अभियान की अभूतपूर्व उपलब्धियों को प्रदर्शनी के रूप में संयोजित किया गया है। यह प्रदर्शनी नदियों और जल स्त्रोतों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का एक सांस्कृतिक प्रयास है। नदियां जलधाराएं ही नहीं, हमारी स्मृतियों, परंपराओं और जीवन की आधारशिला है। नदी संरक्षण केवल वैज्ञानिक दायित्व नहीं, अपितु सांस्कृतिक चेतना का आह्वान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल तथा फोर लेन मुक्ताकाशी परिसर में केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी।

वीर भारत न्यास ने किया प्रदेश की जलीय विविधता को प्रदर्शित

प्रदर्शनी में जल गंगा संवर्धन अभियान की उपलब्धियों, प्रदेश की बावड़ियों, जलीय जीवन के प्राणतत्व-जलचर, अमृतस्य नर्मदा, उपग्रह की नजर से प्रदेश की प्रमुख जल संरचनाओं जैसी प्रदेश की जलीय विविधता को वीर भारत न्यास द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में जनसंपर्क विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय सहयोगी संस्थाएं हैं।

ई-वाहन के खरीदारों को नहीं मिल रहा योजना का फायदा

इंदौर (नगर प्रतिनिधि)। मप्र में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। इसके लिए सरकार ने छह माह पहले इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी थी। लेकिन विडंबना यह है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू नहीं हो पाई है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ई-वाहन खरीदारों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। मप्र सरकार की नीति के अनुसार मप्र में मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ई वाहनों पर मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं, 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाले ई बस, ट्रैक्टर और एंबुलेंस को भी मोटरयान कर में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। प्रदेश में अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2025 के बीच प्रदेश में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक कुल वाहनों की संख्या 1,98,944 है।

गौरतलब है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसके लिए डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने गत फरवरी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 को मंजूरी दी थी। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही ई-व्हीकल रजिस्ट्रेशन में छूट देने समेत अन्य प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अब तक नीति लागू नहीं होने से ई-वाहन खरीदारों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास एवं आवास विभाग नई नीति के संबंध में परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति में किए गए प्रावधान लागू करने की दिशा में कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। मप्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में पिछले दो साल से तेजी से वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2025 के बीच प्रदेश में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक कुल वाहनों की संख्या 1,98,944 है। इनमें दो एवं तीन पहिया वाहन, इलेक्ट्रिक कार, ई-बसें आदि शामिल हैं। मप्र में वर्ष 2022 में ई-वाहनों की कुल संख्या लगभग 28,000 थी। दो पहिया वाहन ईवी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। 2 साल में इंदौर में 47,000, भोपाल में 27,048, ग्वालियर में 21,665 और जबलपुर में 18,395 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। नई नीति में सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। राजमार्गों, प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन, राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लंबी दूरी / हेवी-ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन (दोनों तरफ) लगाए जाएंगे। प्रत्येक एक किमी बाई, एक किमी ग्रिड में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा। नीति अवधि के अंत तक सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। इसके अलावा नई नीति के अनुसार पर्यटक, गांव, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान, प्रौद्योगिकी केंद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र में ई-मोबिलिटी जोन बनाए जाएंगे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के स्टार्टअप के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव भेजने के बाद इस संबंध में परिवहन विभाग से चर्चा हो चुकी है। जल्द ही नीति लागू करने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण पर 100 प्रतिशत मोटरयान कर में छूट देने का प्रविधान किया है। दो पहिया, तीन पहिया और कार के लिए एक वर्ष तक मोटरयान कर में शत प्रतिशत की छूट का प्राविधान किया है। दो पहिया वाहनों पर पांच हजार, तीन पहिया पर 10 हजार और ई कार पर 25 हजार रुपये की छूट वाहन कर और पंजीयन शुल्क में एक वर्ष के लिए देने का प्रविधान है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के प्रस्ताव के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर व उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर जोर दिया जाएगा। यहां वाहन की कैटेगरी के हिसाब से ई-व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 15 से 100 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। ई-व्हीकल रजिस्ट्रेशन में दो पहिया वाहन को 40 प्रतिशत, कमर्शियल को 100 प्रतिशत, तीन पहिया वाहन के लिए 80, चार पहिया के लिए 15 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक बस के लिए 40 फीसदी छूट देने का प्रावधान नीति में किया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008